लिए मैं कहना चाहता हूं कि आप एक जुडिशियल इंक्वायरी करवाइये । इसके साथ आप वहां के स्टेशन को पश्चिमी की तरफ ले जाइये । ··(व्यवधान)··· मैं समाप्त कर रहा हूं । मेरा कहना यह है कि अगर स्टेशन मास्टर ने दूरदर्शिता से काम लिया होता तो इस साल की दुर्घटना रुक सकती थी लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया और अब छोटे कर्मचारियों को फंसाने की साजिस चल रही है । इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जब उनकी रिपोर्ट निकलेगी तो उसमें कहा जायेगा कि जनता जवाबदेह थी, छोटे कर्मचारियों ने ध्यान नहीं दिया । उस जवाब-देही से स्टेशन-मास्टर निकल जायेंगे, डी० एस० निकल जायेंगे । यह कितनी लज्जा की बात है कि सवा दस बजे रात को दुर्घटना हुई, सवेरे सवा तीन बजे डी० एस० दानापुर किऊल जाते हैं । जनता के क्रोध को देख कर डी० एस० की हिम्मत नहीं हुई कि वह लखी सराय जायें और जनता के प्रति हमदर्दी दिखलायें, जो मारे गये उन के प्रति हमदर्दी दिखलायें । वे वहां गये तक नहीं और सवेरे लगभग सात बजे वहां से वापस चले आये । उनके खिलाफ़ सरकार को कार्यवाही करनी चाहिये । लेकिन हो क्या रहा है ? वहां की जनता पर मुकदमा चलाया जा रहा है । जिन लोगों ने इस सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिन लोगों ने इन के सफेद हाथी के खिलाफ प्रदर्शन किया, उनके खिलाफ़ कार्यवाही की जाये, यह कहां तक उचित है ? आम जनता ने आपकी गलत नीतियों के विरुद्ध प्रदर्शन किया । आपको उन के खिलाफ़ किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करनी चाहिये । अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि आप वहां पर दुर्घटनाओं को तभी रोक सकते हैं, जबकि आप वहां की लाइन को फौरन सीधा कर दीजिये । वहां की जनता ने स्मरणपत्र दिया है, इन्क्वायरी कमीशन के सामने भी सात-आठ मांगे रखी गई हैं, मौका नहीं है, वर्ना मैं उन को भी बतलाता । वहां पर मैं गया था और आपकी पार्टी के एक सदस्य श्री नवनतारा दास, जिनका कि वह क्षेत्र है, वह भी गये थे ···· (व्यवधान) ······

मैं समाप्त कर रहा हूं । मुझे एक बात पटना के सम्बन्ध में भी कहनी है । पटना बिहार की राजधानी है । वहां पर आर० एम० एस० की बिल्डिंग बनाने की जवाबदेही रेलवे मंत्रालय की होनी चाहिये, लेकिन उस बिल्डिंग को नहीं बनाया जा रहा है जबकि वहां पर 10-15 कर्मचारी ही काम करते थे, उस समय जितनी जगह थी, आज वहां सैंकडों कर्मचारी काम करते हैं, फिर भी उतनी ही जगह है । इसलिये उस बिल्डिंग को बनवाया जाय । जमशेदपुर में आर० एम० एस० का दफ्तर खोला गया तो वहां पर किराये की बिल्डिंग ले कर कार्य चलाया जा रहा है । इस के लिये भी बिल्डिंग बनवाई जाये ।

मेरा सुझाव यह भी है कि नई रेलवे लाइनें बनाई जाएं । पटना में पुल बनाने की बड़ी आवश्यकता है । इस से आपकी आमदनी बढ़ेगी, घटेगी नहीं । बक्सर के पास भी पुल बनाना चाहिये । ये दोनों पुल बड़े ही महत्वपूर्ण हैं । इन सारे कामों को आपको करना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय, आखिर में मेरा एक सुझाव और है । पूर्वी रेलवे के बिहटा स्टेशन से बिक्रम-पाली-अखल-कुर्था जहानबाद होती हुई राजगृह तक एक नई रेल लाइन डाली जाय । इससे आपकी आमदनी बढ़ेगी । अन्त में मेरी मांग यह है कि आप जनता पर हमला करने के बजाय रेलवे बोर्ड जो कि आप ने एक सफेद हाथी पाल रखा है, उस को खत्म कर दीजिये, बड़े-बड़े अफसरों की भरती बन्द कर दीजिये और आम मजदूरों की मांगों को स्वीकार कीजिये ।

17·32 hrs.

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the chair.*]

*"UNTOLD STORY" BY LT. GEN. KAUL

MR. DEPUTY-SPEAKER: Half-an-hour discussion.

*Half-an-hour Discussions.

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह अनटोल्ड स्टोरी जो जनरल कौल ने लिखी थी, उस के बाद जो कुछ बातें अनटोल्ड थीं, सरकार के जवाब के पीछे, उनको मैं कहना चाहता हूं । सवाल यह था :—

"The reasons for which Government did not take any action against General Kaul for writing the book "Untold Story", although the Ministry of Law had made a recommendation to that effect ?"

मंत्री महोदय ने पार्लियामेंट में जवाब दिया था :

"The examination of the book, carried out in consultation with Ministry of Law, indicated that, some information of a classified nature has been disclosed in the book. However becasue of the considerable changes made since 1962 in our operational planning, methods of warfare, logistical and other administrative arrangements, the disclosures not unoften in-accurate and incomplete, do not have the same importance or security value today. Government have, therefore, taken the view that on the whole no advantage is to be gained by proceeding against the author and in fact some harm may be done to public interest."

उपाध्यक्ष जी, जो जवाब मंत्री जी ने यहां पर दिया था कि हमें इस पर ला मिनिस्ट्री की ओपीनियन लेकर उसके बाद कार्यवाही करेंगे, उन्होंने यहां पर जो वायदा किया था, उसकी उन्होंने अवहेलना की है । पार्लियामेंट में मंत्री महोदय जब कोई बात कहते हैं तो उस को पूरा करना चाहिये, वरना मैं कह सकता हूं कि यह एक तरह से नेशनल-मौकरी होगी । जब आप ला-मिनिस्ट्री को कोई चीज रेफर करते हैं तो अपने दिमाग में एक आइडिया रखते हैं कि अगर ला-मिनिस्ट्री ने यह बात कह दी कि इस पर कार्यवाही हो, तो आपके मन में एक धारणा पड़ जायगी कि उस पर कार्यवाही होगी । लेकिन यह कहना कि अगर कोई इन-कन्सीनियेन्ट ओपीनियन ला-मिनिस्ट्री की आयेगी तो उस के बाद आप तय करें कि यह करना है या नहीं करना है, मैं समझता हूं सब तरह से यह गलत है और पब्लिक इन्टरेस्ट के भी खिलाफ़ है और पार्लियामेंन्ट्री सिस्टम के भी खिलाफ़ है । क्योंकि जब आपने मिनिस्ट्री आफ़ ला को रेफर कर दिया और ला मिनिस्ट्री ने यह बात कह दी कि कार्यवाही होनी चाहिये, तो फिर उस के बाद मिनिस्टर साहब के सामने और सरकार के सामने कोई चारा नहीं रह जाता कि वह उस पर कार्यवाही न करते, कार्यवाही करनी ही थी ।

अब सरकार ने एक बात यह कही कि जो सीक्रेट्स उन्होंने कहे हैं, वह आउट-डेटेड और आउट-मोडेड हो गये । औफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट बना हुआ है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों से और विशेष कर सेना के कर्मचारियों से यह लिखा कर लिया जाता है कि नौकरी के समय और उस के बाद भी वह सीक्रेसी रखेंगे । जो नहीं रखता है, उस के खिलाफ़ कार्यवाही हो सकती है । अब आप ने जो यह परम्परा डाल दी है, अगर यही परम्परा चलती रही तो इस से एक फ्लड-गेट खुल जायगा । कोई भी जनरल आयेगा और किताबें लिखेगा और लाखों रुपया कमायेगा और पब्लिशर को भी लाखों रुपया देगा, जिससे हमारे डिफेन्स की सीक्रेसी खतरे में पड़ जायगी । इसी केस में दो लाख रुपया जनरल कौल को मिला है और दस लाख रुपया पब्लिसर की जेब में गया है । केवल जनरल कौल ही नहीं, जनरल चौधरी ने भी कोरसपोन्डेन्ट के नाम से कुछ आर्टिकल्ज लिखे थे । एक और जनरल ने भी किताब लिखी है । अगर इसी तरहसे आपने कार्यवाही की तो कोई भी आफिसर चाहे वह आइ० सी० एस० हो या सेना का अधिकारी हो, रिटायर होने के बाद उस को एक अच्छा बिजनेस मिल जायगा और इस तरह से सीक्रेट डाइवल्ज कर के हौट-केक की तरह से उसकी किताबें बिकेंगी, हिन्दुस्तान में भी और हिन्दुस्तान के बाहर भी । उस को कोई इंकार करने की किसी चीज की जरूरत नहीं है । एक गलत परम्परा माननीय मंत्री ने यह निर्णय लेकर लगाई हैं ।

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि आप को जनरल कौल के खिलाफ मुकद्दमा चलाना चाहिए था। ऐसा न करने के लिए अगर आप कहें कि पब्लिक इंटरैस्ट की खातिर ऐसा निर्णय लिया गया तो मैं बेशक उस को छोड़ सकता हूं। लेकिन यह कहना कि अब वह चीजें जो उन्होंने अपनी उस किताब में लिखी हैं वह आउटडेटैड हो गई हैं उस से मैं सहमत नहीं हो सकता क्योंकि अगर किसी आफिशिएल सीक्रेट वाली किताब में कोई आफिशिएल सीक्रेट दिया हुआ है तो आप के उस के लिए भी कहेंगे कि वह तो आउटडेटैड हो गया। अब मैं पूछना चाहता हूं कि हैंडरसन कमेटी की रिपोर्ट सन् 1965 में हुई थी तो क्या वह भी आउटडेटैड हो गई ? यह तो हमेशा से होता चला आया है कि जैसे-जैसे समय बीतता जाता है मिलैटरी स्ट्रैटिजी आउटडेटैड होती जाती है और नये नये आविष्कार होते जाते हैं लेकिन क्या आप हैंडरसन कमेटी की रिपोर्ट सदन् के सामने रखने के लिये तैयार हैं ? सदन् उस की आप से मांग करता है लेकिन वह आप रखने के लिए तैयार नहीं है ? सदन् उस की आप से मांग करता है लेकिन वह आप रखने के लिये तैयार नहीं हैं लेकिन यह जनरल कौल द्वारा लिखित किताब में जो डिस्क्लोजर्स किये गये हैं उन के लिए आप कहते हैं कि वह आउटडेटैड हो गये हैं ? यह एक अजीब बात है। अब इस बिना पर अगर कोई चोर चोरी करे और कह दिया जाय कि अब तो वह चीज खो गई है जला दी गई है तो क्या आप उस चोर को सजा नहीं देंगे ? मेरी समझ में चोर को सजा जरूर देनी चाहिए।

जनरल कौल के खिलाफ़ मुकद्दमा तो आप ने चलाया ही नहीं लेकिन उन की पेंशन भी बन्द नहीं की। उनका प्राविडेंट फंड होगा पेंशन ग्रेजुएटी थी तो इस को क्यों नहीं सरकार ने बन्द किया ? मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या वह एक ब्लुआईड ब्वाय है या ऊपर की किसी हाइ आर्की की या बहुत ऊपर के लोगों के साथ उस का सम्बन्ध होने के कारण उनके खिलाफ ऐक्शन नहीं लिया गया ? मेरी जबान पर शब्द आ रहे हैं लेकिन मैं चूंकि उन्हें यहां पर कहना नहीं चाहता इसलिए कंट्रोल कर रहा हूं बाकी उनके खिलाफ़ कोई कार्यवाही न किये जाने का कारण यह रहा है कि बहुत बड़ी जगह उन का सम्बन्ध है, टौप से उन्हें फेवर था ? क्या इस के पीछे किसी एक व्यक्ति को फेवर करने वाली बात नहीं थी ? विशेष रूप से मैं प्राइम मिनिस्टर से यह कहना चाहता हूं कि कहा यह जाता है कि चूंकि उनका प्राइम मिनिस्टर के साथ सम्बन्ध रहा है इसलिये जनरल कौल के खिलाफ सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं हुई . . .

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : यह गलत है।

श्री शिव नारायण (बस्ती) : यह गलत चार्ज है।

श्री कंवर लाल गुप्त : ठीक है जवाब दिलवा दीजियेगा बाकी मुझे कहने तो दीजिये। मैंने उन्हें कोई अपशब्द नहीं कहे। मैं भी उनकी उतनी ही इज्जत करता हूं जितनी कि हमारे डा० राम सुभग सिंह करते हैं। लेकिन मैं यह अवश्य कहूंगा कि जब यह बाहर कहा जा रहा है कि जनरल कौल का चूंकि प्राइम मिनिस्टर के साथ सम्बन्ध था इसलिए कोई कार्यवाही उनके खिलाफ नहीं हुई तो इस विषय में उन्हें बहुत सतर्कता और सावधानी बर्तनी चाहिए और उनके खिलाफ जरूर मुकद्दमा चलाया जाना चाहिए ताकि भविष्य में दूसरों के लिए एक अच्छी और स्वस्थ मिसाल और परम्परा कायम हो सके।

अगर मंत्री जी को ऐसा लगे कि मौजूदा कानून इस तरह के मामलों से निबटने के लिए पर्याप्त नहीं हैं या अभी के मौजूदा कानून में कुछ कमजोरी है तो मैं उन को सुझाव दूंगा कि वह इस के लिए एक नया कानून लायें ताकि आइन्दा कम से कम ऐसी कार्यवाही कोई न करे। इस तरीके से कोई सीनियर अफसर या ऊंचा मिलिटरी अफसर हमारे मुल्क का

[श्री कंवर लाल गुप्त]

कोई भी ऐसा सीक्रेट डाइवेंल्ज करने की हिम्मत न करे जिससे कि हमारे देश की सुरक्षा को खतरा पेश हो इसके लिए सरकार को आवश्यक व्यवस्था करनी चाहिए ।

श्री रवि राय (पुरी) : माननीय सदस्य श्री कंवरलाल गुप्त ने बहुत सामयिक प्रश्न उठाया है जोकि देश की प्रतिरक्षा व्यवस्था व सुरक्षा से सम्बन्धित है । मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि तरह-तरह की चीजें सामने आ गई हैं जैसे कि जब सन् 1962 के दौरान भारत पर चीन द्वारा आक्रमण हुआ था और भारत सरकार को उसी मौके पर हार का मुंह देखना पड़ा था तो उस वक्त नेहरू जो प्रधान मंत्री होते थे, प्रतिरक्षा मंत्री श्री कृष्ण मेनन थे और जनरल कौल अग्रिम मोर्चे पर तैनात उस समय एक उच्च व जिम्मेदार फौजी अफसर होते थे अब इन तीनों में से कोई दो तो कम से कम अवश्य ही दोषी रहे होंगें । आगे जब श्री जे० एन० चौधरी कमांडर इन चीफ थे तब वह एक अखबार के कारसपोंडेंट थे । उस वक्त कौल साहब एक किताब लिख चुके थे और यह भी चीज़ आ चुकी है कि उन की जो फोरेन इम्बैसी से बात होती थी उस को भी किताब में डाल दिया । फिर तीसरी चीज़ यह है कि रक्षा विभाग के भूतपूर्व सचिव यस० यस० खेरा भी एक किताब लिख चुके हैं जिसमें उन्होंने इस के लिए कौल साहब को दोषी ठहराया है । इस तरह से सवाल काफी जटिल हो गया है लेकिन मालूम होता है कि यह सभी लोग जो ऊपर के थे, कमांडर इन चीफ़, मंत्री लोग और यह जनरल कौल इन में आखिर कोई न कोई दोषी तो अवश्य ही रहा होगा और छानबीन करके कोई दोषी ठहराया जाना चाहिए । मैं जानना चाहता हूं कि जब ला मिनिस्टरी ने कहा है कि उन के खिलाफ़ कार्यवाही होनी चाहिए तो डिफेंस मिनिस्टर ने उसे क्यों नहीं माना ?

अब जनरल कौल के खिलाफ़ कोई कार्यवाही या मुकद्दमा आदि न करने के लिए यह कहना कि चूंकि उन्होंने जो किताब में डिस्क्लोजर्स किये हैं और कानफिडेंशल बातें छापी हैं वह अब आउटडेटेड हो गई हैं, सन् 1962 को बीते काफ़ी साल गुजर गये हैं और मिलैटरी स्ट्रैटिजी में काफ़ी रद्दोबदल हो गये हैं इसलिए उनके खिलाफ़ हम कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते यह कोई एक अच्छी मिसाल हम पेश नहीं कर रहे हैं कौल साहब के खिलाफ़ इसलिए कार्यवाही की जानी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह से कोई भी उच्च फौजी अधिकारी इस तरह की हरकत न करे और मैं चाहूंगा कि वह सदन को कम से कम इस बात का आश्वासन अवश्य दें कि हम उन के खिलाफ़ कार्यवाही करेंगे ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : The hon. Minister.

SHRI LOBO PRABHU (Udipi): Sir, I want to ask a question.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am sorry. I cannot go against the rules.

SHRI LOBO PRABHU: I have sent my name.

MR. DEPUTY-SPEAKER: There is a well laid down procedure.

SHRI LOBO PRABHU: I have followed that procedure.

MR. DEPUTY-SPEAKER : No. I am very sorry.

SHRI RANGA (Srikakulam) : What is the procedure ? According to the rules, we have to send a chit. It was sent very much earlier. Sir, I do not want to question your ruling or embarrass you. We have sent the chit half an hour earlier.

SHRI LOBO PRABHU: I sent my name in the morning before 11 O'clock. By some mistake it did not reach you. I have only one comment to make on this discussion. Because an important question of a Government servant disclosing his knowledge in a book is involved. I am a Government servant.

AN HON. MEMBER: You were.

SHRI LOBO PRABHU ; I am still a Government servant in the sense that I serve the people. I am surprised that the opposition should object to book which discloses the defects of the Government

It might have been proper in the mouth of the Government to have said that it should proceed against him, because he has in many ways reposed it.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now he should put his question. At least there let him follow the procedure.

SHRI LOBO PRABHU: Why is the fundamental right of a Government servant to disclose information in his possession, as along as that information is not against national security, is being challenged? If it is against party security, it is a different matter. That matter should be aired. It is one of the fundamentals of democracy that what a Minister does and what is within the knowledge of the Government servant should be disclosed to the public so that democracy functions better. This is my question. Why my hon. friend should have raised this point that Government servant should be stopped, that no Government servant should be allowed...

SHRI KANWAR LAL GUPTA: I said disclosing secret.

SHRI LOBO PRABHU: I would like my hon. friend to be a little tolerent to government servants if they want to help democracy. We want to correct every Minister whom we are daily attacking: why not take help from government servants?

श्री शिव नारायण: मैं डिफेंस मिनिस्टर साहब से जानना चाहता हूं कि कौल साहब ने जब यह सर्विस ज्वायन की थी तो क्या उन्होंने कोई ऐग्रीमेंट साइन किया था और अगर उन्होंने उस एग्रीमेंट के खिलाफ जाकर वह अपनी किताब लिखी है तो उन के खिलाफ़ आप ने कोई ऐक्शन क्यों नहीं लिया?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI SWARAN SINGH): Mr. Deputy-Speaker, I will be very brief in my reply. I would, at the beginning, like to say that Shri Kanwar Lal Gupta had absolutely no justification to introduce the idea of a blue-eyed boy. If he has read the book—and I presume he has—he will find that there is intrinsic evidence to show that the author was at several places uncharitably critical of the Prime Minister and of the then Defence Minister, Shri Krishna Menon, and if I may remind this hon. House, there were occasions when it was hinted, sometimes directly and sometimes indirectly, even on the floor of the House at time, that Gen. Kaul was being helped by these very dignitaries, the late Prime Minister Shri Jawaharlal Nehru and the former Defence Minister.

If, in his book, he has cast all these things to the winds and has bitterly criticized the late Prime Minister, Shri Jawaharlal Nehru and also the former Defence Minister, Shri Krishna Menon, greater responsibility is cast upon us to sift the various relevat factors in a realistic manner and to see whether it is a fit case for prosecution or not. So, the intrinsic evidence in the bookitself is the strongest argument against what Shri Kanwar Lal Gupta described in an unfortunate manner indicating as if any favour was being shown to him.

Having said that, apart of the criticism has been replied to by the other component of the Opposition. Whether politically it is advantageous or disadvantageous is not the consideration before Government when we launch prosecutions. Shri Kanwar Lal Gupta is a lawyer and I do not want to take him into legal intricacies, but the very framework of the Official Secrets Act is quite clear. There are two penal sections, section 3 and section 5. Section 3 relates to security etc; section 5 is a simpler section that any official secret, if it is communicated in an unauthorised manner to a person to whom it should not be communicated, that is *per se* an offence. But the protection against that is another section of the same Act under which prosecution has to be sanctioned by Government meaning thereby that even in cases which come within the mischief of section 5, which is a lesser section, Government has to apply its mind and come to the conclusion that it is in the public interest to prosecute him. If the Government have exercised that discretion after taking everything into consideration, I think it should be accepted as a correct decision when there is want of prosecution. There may be criticism, if we prosecute; that on account of untouchability of unhealthy criticism or things of that nature, we have been vindictive in ordering prosecution.

[Shri Swaran Singh]

It is one of those rare cases where the Opposition is criticizing us for exercising our discretion in favour of not prosecuting. That, I should be a welcome approach from the opposition point of view. But it is a surprising thing that they criticize us for that.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : How will you stop the flood ?

SHRI SWARAN SINGH : I am coming to that.

Coming to the merits of the case, a question has been asked by one hon. Member whether there was any undertaking on behalf of the officer or not. The factual position of the rules as they exist today is that if an officer, during his tenure as a serving officer, publishes any book which contains information which had come into his possession in his official capacity, whether it is secret or otherwise, he is expected to get a clearance from the appropriate authority depending upon the level at which that officer who publishes that book or writes an article happens to be; but after retirement there is no such restriction. It is true that if after retirement a retired officer, civil or armed forces officer, does write a book, he takes the consequence under the common law, namely, if it hits the Official Secrets Act, he can be prosecuted for the contravention of either section 3 or of section 5. The relief which is available to them is contained in the Official Secrets Act namely, as I have said a moment ago, Government have to apply their mind it is a fit case for prosecution or not.

We examined this matter and I would be quite frank in saying that there are certain passages in the book which reproduce sentences which were contained either in secret reports or in secret documents generally of a descriptive nature describing a valley or the location of past or the state of preparedness or what should have been the method of attack etc. One view could be, if it were a technical view, that here was a secret docoument of which he might have kept a copy, a couple of sentences from which he has reproduced; therefore, this is unauthorised, illegal communication of secret information and as such it comes within the mischief of section 5 and automatic prosecution could have been launched. But in such cases, particularly when there is a lapse of time between the actual publication and the date of retirement and the date of information, a view has to be taken as to whether the information is such the disclosure of which would really result in passing the information on to hostile hands, whether that information can be used in such a way that it might really prejudice our security and might be against our national interest. If it were of that nature, surely, we would have launched the prosecution. But we came to the conclusion that although it is a fact that certain sentences from documents which were of a secret character had been used, although it is not said in the book that those sentences are being used from those secret and top secret documents, we had to take a view as to whether the disclosure of that information, at this moment of time, is really prejudicial to our security and we came to the conclusion that in this case the benefit of doubt should go to the General, the author of the book.

One more point I would like to say. 1962 is not a very happy chapter. We received setback and on that statements had been made by our leader, Panditji himself, on the floor of the House on several occasions and the things was explained. After that, great many changes have taken place both in our state of preparedness and equipment, in raising new forces and equiping them afresh. When you persist by harping on that again and again, when the morale of our defence forces at the present time is high, it is better not to take up that again and again. That may also come in the way of the rising crescendo and the morale of our armed forces.

Then, in really trying to assert or to say he has used this information or that information which, at the present time, is wrapped in several other passages in large volumes of other material, we would in that process by divulging a good deal of authentic information, thus making a gift of certain information which is of a classified nature. For all these reasons, we came to the conclusion that no useful purpose will be served in launching the prosecution.

The hon. Member has rightly asked: What should we do to stop this in future? This is a matter of general importance both on the civil and on the armed forces side.

We have already initiated action to find out if we could not amend the rules or take undertakings from the officers both on the civil and the armed forces side and that there should be some restriction on their publishing these books even after their retirement for certain period and that they should get some clearance. (*Interruption*) If they are opposed to fundamental rights, we will not oppose them. The fundamental right has to be waived and has to be balanced against the requirements of security.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: Why did you not stop his pension ?

SHRI SWARAN SINGH: If I come to the conclusion that it is not necessary to prosecute, then there should be greater hesitation to take action to forfeit a part of his pension also. It will not be proper to carry on this compaign which could be described as one of witch-hunting by trying to pursue it in this manner.

SHRI LOBO PRABHU : He has not answered my question. Can you make a distinction between public security and public service ? A book can offend public security and it also can serve the public. In making these rules, whatever you do, don't shut up a very important source of informationfor the public.

SHRI SWARAN SINGH: The hon. Member himself has been in the civil service for a long period. When the discretion is given to the Government to sanction prosecution, then all these considerations are relevant and they are taken into consideration.

SHRI LOBO PRABHU: They should be guided by proper considerations. They should be inscribed in the law.

18 HRS.

SHRI SWARAN SINGH: The mere fact that no court can have cognizance unless there is prosecution launched by Government, it has cast responsibility on Government to apply their mind to ensure that those cases which are border-line cases are not pushed to court. So, in this case, I would respectfully submit that this was a case of self-justification. There was criticism against Gen. Kaul. He came out valiantly and tried to defend. He was really a brave man, a very wise man. We should forgive his lapses rather than harping on them over and over again.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House stands adjourned till 11 A.M. tomorrow.

18·01 HRS.

The lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, March 5, 1968/ Phalguna 15, 1889 (Saka).

M8L.S.S. (C.P.)/68GIPF.